राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5749/2022

श्रीमती आशा गुप्ता —**अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालवीय नगर, जयपुर।
4. श्रीमती निशी सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालवीय नगर, जयपुर।

—**प्रत्यर्थीगण**

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.11.2022
आदेश की दिनांक : 26.10.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल.शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 28.10.2022 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 01.11.2022 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालवीय नगर, जयपुर में पदस्थापित रखा जावे तथा वेतन आदि का समस्त लाभ भी प्रदान किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालवीय नगर, जयपुर में कार्यरत है और आलोच्य आदेश दिनांक 28.10.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डाबीच फागी, जिला जयपुर किया गया है और आदेश दिनांक 01.11.2022 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया है। अपीलार्थी का यह स्थानान्तरण बिना

किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। उनका कथन है कि डॉ. अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में ऐसे स्थानान्तरण आदेश को अनुचित माना है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण 72 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी के पिता जो 83 वर्ष के वृद्ध हैं और वह कई गंभीर बीमारियों से पीडित हैं, जिनका उपचार चल रहा है। अपीलार्थी के पति का निधन दिनांक 26.04.2007 को हो चुका है। फिर भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण 72 कि.मी. दूर किया गया है, जो नियम एवं स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 28.10.2022 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 01.11.2022 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालवीय नगर, जयपुर में पदस्थापित रखा जावे तथा वेतन आदि का समस्त लाभ भी प्रदान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी वर्ष 2014 से एक ही स्थान पर कार्यरत है और प्रशासनिक अत्यावश्यकता के कारण अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कर जिसमें किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण जयपुर जिले में ही किया गया है और एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का किसी भी कार्मिक को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालवीय नगर, जयपुर में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं छात्रहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। अपीलार्थी वर्ष 2014 से एक ही स्थान पर लगभग 10 वर्ष से कार्यरत है और किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का

अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

> *"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely*

> *because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."*

अपीलार्थी ने अपील में स्वयं का 72 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :—

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य